



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2019/अग्रहायण 21, 1941

No. 719]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 912(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियमों को तात्कालिक प्रभाव से विखंडित करती है, अर्थात् :-

- (i) सा.का.नि. सं. 663(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित डाकघर बचत खाता नियम, 1981;
- (ii) सा.का.नि. सं. 664(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियम, 1981;
- (iii) सा.का.नि. सं. 666(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा नियम, 1981;
- (iv) सा.का.नि. सं. 701(अ), तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987;
- (v) सा.का.नि. सं. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1989;
- (vi) सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 2 अगस्त, 2004, द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004;
- (vii) सा.का.नि. सं. 705 (अ), तारीख 23 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किसान विकास पत्र नियम, 2014;
- (viii) सा.का.नि. सं. 323(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016:

परंतु ऐसी सुस्ती,-

- (i) उक्त नियमों के पूर्व प्रचालन या कुछ किया गया है या करने का लोप किया गया है या उसमें सहन किया गया हो ; या

FORM - 4

[See paragraph 7]

(Application for pledging of account)

To

The Postmaster/Manager

.....

Sir,

1. I/We am/are required to deposit an amount of Rs. as security with (official designation of the gazetted officer of the Government or name of the Reserve Bank of India or a Scheduled Bank, Cooperative Bank, Registered Cooperative Society, Corporation, A Government company or Local Authority). I/We therefore request you to transfer the deposit in Account Number _____ under Kisan Vikas Patra Scheme as security in favour of (Official designation of the officer or name of the Branch etc to whom the account is being pledged as security.)

2. I/We agree that the account(s) can be encashed by the pledgee when the security has been forfeited. Nomination vide registration number.....in the account stands cancelled.

Particulars of Account

Account number	Date	Name of Account office	Amount

The authority mentioned above has agreed to accept the pledge. A pledge acceptance duly signed by the competent authority as pledgee is attached.

Date :

Signature of account holder(s)/guardian

Address

For office use only

Account number _____ has been pledged vide registration no..... dated..... and necessary entries have been marked in the record. Passbook/deposit receipt/statement of account has also been marked with pledge and returned to the account holder.

Signature of Post Master/Manager

Seal

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 921(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत खाता स्कीम, 2019 है।

(2.) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा: (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;

(ख) "खाता धारक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम खाता धारित हो;

(ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इस स्कीम से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "साधारण नियम" से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम, 2018;

(च) "वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम और साधारण नियमों में हैं।

3. खातों के प्रकार:- (1) कोई खाता प्ररूप-1 में आवेदन करके निम्नलिखित द्वारा खोला जा सकेगा:-

(क) एकल वयस्क;

(ख) दो वयस्क संयुक्त रूप से;

(ग) अवयस्क की ओर से संरक्षक;

(घ) विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से संरक्षक

(ङ) अवयस्क जिसने 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, स्वयं अपने नाम पर

परंतु किसी व्यक्ति द्वारा एकल खाते के रूप में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।

परंतु यह और कि खंड (ङ.) के अधीन खाता तभी खोला जा सकता है जब खंड (ग) के अधीन खाता अवयस्क या विलोमता, के नाम पर विद्यमान नहीं है।

(2) संयुक्त खाते में अतिशेष में व्यक्ति का भाग समानुपात होगा। किसी संयुक्त खाते में खाताधारकों में से किसी एक खाता धारक की मृत्यु होने पर, उत्तरजीवी खाताधारक को खाते के एकमात्र धारक के रूप में माना जाएगा और वह इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार खाते का संचालन जारी रख सकेगा परंतु यदि उसके नाम पर अन्य कोई एकल खाता धारित न हो। यदि उत्तरजीवी खाताधारक के नाम पर एकल खाता विद्यमान है, तो उस खाते को बंद करना होगा।

4. जमा और आहरण:- (1) न्यूनतम पांच सौ रुपये की जमा के साथ खाता खोला जा सकेगा और तत्पश्चात् दस रुपये से कम की रकम के लिए कोई जमा स्वीकृत नहीं की जाएगी।

(2) किसी खाते में अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है।

(3) खाते से आहरण, जो पचास रुपये से कम का नहीं होगा, सम्यक् रूप से भरे व हस्ताक्षरित प्रपत्र 2 के साथ पासबुक प्रस्तुत करके किया जा सकेगा। खाते में से आहरण चैक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए न्यूनतम निर्धारित सीमा से अधिक अतिशेष रकम की उपलब्धता के अधीन किया जा सकेगा।

(4) जिस आहरण से अतिशेष पांच सौ रुपये से कम होता हो, का कोई आहरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

(5) इस स्कीम के लागू होने के तुरंत पहले यदि खाते में अतिशेष पांच सौ रुपये से कम है, खाता धारक इन नियमों के लागू होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर इतनी रकम जमा करेगा जिससे कि खाते में न्यूनतम अतिशेष पांच सौ रुपये हो जाए और

विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर अपेक्षित रकम जमा करने के लिए उपयुक्त विधि के जरिए खाताधारक को सलाह देने हेतु लेखा कार्यालय जिम्मेदार होगा।

(6) खाते में न्यूनतम पांच सौ रुपये अतिशेष रखने के लिए यदि खाताधारक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उतनी रकम जमा करने में असमर्थ होता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्यदिवस को खाते में से एक सौ रुपये का खाता रखरखाव शुल्क काट लिया जाएगा और खाता रखरखाव शुल्क की कटौती करने के बाद पश्चात् खाते में अतिशेष शून्य हो जाता है, तो खाता स्वतः ही बंद हो जाएगा और जब खाता बंद हो जाता है तब खाताधारक को अधिसूचित किया जाएगा। यह उपबंध सभी खातों, जिसके अंतर्गत निष्क्रिय खाते भी हैं, को लागू होगा।

(7) सभी जमा और आहरण केवल पूर्ण रुपये में किया जाएगा।

5. खाते में जमा पर ब्याज:- (1) समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर कैलेंडर मास के लिए बंद होने के दसवें दिन और मास के अंत के बीच खाते में न्यूनतम जमा अतिशेष पर ब्याज अनुज्ञात होगा और यह ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंत में परिकलित होगा और खाते में जमा होगा।

(2) केवल संपूर्ण रुपये की रकम पर ब्याज अनुज्ञात होगा और इसे निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए पचास पैसे या अधिक की रकम एक रुपये मानी जाएगी और पचास पैसे से कम की रकम छोड़ दी जाएगी।

(3) किसी मास के लिए खाते में कोई ब्याज अनुज्ञय नहीं होगा जिसमें किसी भी समय मास के दसवें और अंतिम दिन के बीच जमा पांच सौ रुपये से कम हो।

(4) यदि किसी वर्ष के दौरान खाता बंद किया जाता है, तो खाता बंद होने के पहले के मास के अंत तक ब्याज अनुज्ञात होगा।

(5) खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके खाते में ब्याज, जिस मास खाता बंद किया जाता है, उसके पूर्व के मास के अंत तक अनुज्ञात होगा।

6. अतिशेष की पुष्टि:- लेखा कार्यालय द्वारा खाताधारक की पासबुक या खाते का विवरण लेखा कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। खाताधारक किसी भी समय अपनी पासबुक प्रस्तुत करते हुए अपने खाते में अतिशेष की पुष्टि कर सकेगा।

7. चैक बुक जारी करना:- आवेदन करने पर खाता धारक को दस पर्चियों वाली एक चैक बुक एक वर्ष में निःशुल्क जारी की जा सकेगी। तत्पश्चात् जारी चैकबुक दो रुपए प्रति चैक प्रभारित होगी।

8. निष्क्रिय खाता:- (1) किसी खाते में जिसमें पूरे तीन वर्षों के लिए जमा या आहरण नहीं हुआ हो, वह निष्क्रिय खाता माना जाएगा और निष्क्रिय खाते में ब्याज का प्रत्यय संव्यवहार नहीं माना जाएगा।

(2) निष्क्रिय खाते में कोई संव्यवहार खाताधारक द्वारा खाता की बहाली हेतु आवेदन तथा लेखा कार्यालय द्वारा सम्यक् प्रक्रिया पूरी करने पर खाता पुनरुज्जीवित होने के पश्चात् ही अनुज्ञात होगा।

9. बंद करने पर अंतिम आहरण:- खाताधारक, खाता बंद करने हेतु प्ररूप-2 में आवेदन के साथ पासबुक, अप्रयुक्त अथवा आंशिक रूप से प्रयुक्त चैकबुक आदि, यदि कोई हो, खाता कार्यालय को अभ्यर्पित करके, किसी भी समय खाता बंद कर सकेगा।

10. साधारण नियमों का लागू होना:- साधारण नियम के उपबंध, उन मामलों के संबंध में भी लागू होंगे, जिनके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।

11. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार, का यह समाधान हो गया है कि इस स्कीम के किसी उपबंध के प्रचालन से खाता धारक को असम्यक् कष्ट होता है, यह ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, आदेश द्वारा उस उपबंध की अपेक्षा को ऐसी रीति में जो अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत न हों, शिथिल कर सकेगी।

[फा.सं.2/2/2018-एनएस (भाग-I)]

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

[पैरा 3 का उप-पैरा (1) देखिए]

(खाता खोलने के लिए आवेदन)

सेवा में,

श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक

-----आवेदक/आवेदकों का
फोटो चिपकाएं

श्रीमान,

मैं/हम -----(खाता धारक(कों)/संरक्षक) आपके डाकघर/बैंक में डाकघर बचत खाता स्कीम के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूँ/हैं।

मैं/हम,-----रुपए/- -----(-----शब्दों में रुपए) नकद/चैक/डिमांड ड्राफ्ट संख्यांक-----तारीख-----आरंभिक जमा के रूप में निविदा करता हूँ/हैं। मेरी/हमारी विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं:-

1. प्रथम जमाकर्ता का नाम-----

पति/पिता/माता या न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक का नाम-----

जन्म की तारीख----- (दिदि/मम/वववव) शब्दों में.....

2. दूसरे जमाकर्ता का नाम-----

पति/पिता/माता का नाम-----

जन्म की तारीख----- (दिदि/मम/वववव)

3. तीसरे जमाकर्ता का नाम-----

पति/पिता/माता का नाम-----

जन्म की तारीख----- (दिदि/मम/वववव)

4. अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति खाताधारक का नाम

पिता/माता/संरक्षक का नाम

जन्म की तारीख----- (दिदि/मम/वववव)

5. खाताधारक(कों) का आधार संख्यांक

6. खाताधारक(कों) का स्थायी खाता संख्यांक (पैन)

7. वर्तमान पता

.....

.....

स्थायी पता

.....

8. संपर्क ब्यौरे

टेलीफोन नं.

मोबाइल नं.-----

ई-मेल आईडी-----

9. खाते का प्रकार _____ एकल या संयुक्त या अवयस्क के मामले में संरक्षक के माध्यम से या विकृतचित्त व्यक्ति या नेत्रहीन या दिव्यांगजन, किसी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से।

10. (*) अवयस्क के जन्म की तारीख के ब्यौरे

(अवयस्क के खाते के मामले में लागू)

(क) प्रमाणपत्र सं.

(ख) जारी होने की तारीख

(ग) जारी करने वाला प्राधिकारी

11. (*) संरक्षक(प्राकृतिक/विधिक) का नाम

(अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से खाता खोले जाने की दशा में)

12. अन्य संलग्न केवाईसी दस्तावेजों के ब्यौरे 1. पहचान का सबूत.....

2. पते का सबूत

निम्नलिखित दस्तावेज पहचान और पते के सबूत के प्रयोजन के लिए विधिमान्य दस्तावेजों के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं: 1. पासपोर्ट 2. चालन अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा जारी, राज्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाँब कार्ड 5. नाम और पते के ब्यौरे सहित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र ;

13. खाते का संचालन निम्न प्रकार से किया जाएगा:--

(क) सभी धारकों द्वारा एक साथ या उत्तरजीवी धारक द्वारा

(संयुक्त खाते के मामले में)

(ख) या तो धारक(कों) द्वारा या उत्तरजीवी जमाकर्ता/जमाकर्ताओं द्वारा

14. मेरे/हमारे नमूने हस्ताक्षर

1. 2..... 3.....

(नाम)

2. 2..... 3.....

(नाम).....

3. (नाम)..... 2.....

.....

4. (नाम)..... 2.....

(नाम).....

मैं, स्कीम पर लागू उपबंधों और स्कीम को लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018, और उसके अधीन समय-समय पर जारी संशोधनों, को पालन करने का वचन देता हूँ।

खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

तारीख.....

नाम निर्देशन

16. मैं/हम नीचे उल्लिखित व्यक्ति(यों) का नाम निर्देशन करता हूँ/करते हैं जिनको मेरी मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके डाकघर बचत खाता स्कीम में मेरी जमा रकम को मेरी मृत्यु के समय संदत्त की जाएगी:

क्र.सं.	नाम निर्देशिती(यों) का नाम (के नाम) और संबंध	पूरा पता(पते)	नाम निर्देशिती का आधार संख्यांक नाम (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नाम निर्देशिती के जन्म की तारीख	हकदारी का अंश	हकदारी की प्रकृति, न्यासी या स्वामी
1						
2						
3						
4						

चूंकि, उपरोक्त विनिर्दिष्ट क्रम संख्या (कों)----- निर्देशिती (यां) अवयस्क है/हैं, श्री/श्रीमती/कुमारी-----
-----पुत्र/पुत्री/पत्नी-----निवासी-----को नाम निर्देशिती/नाम निर्देशितियों की अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उक्त खाते के अधीन देय रकम को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूँ।

1. साक्षी के हस्ताक्षर-----

नाम और पता-----

2. साक्षी का नाम-----

नाम और पता-----

खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

स्थान-----

तारीख-----

तारीख.....

डाक घर /बैंक के प्रयोग हेतु

यह खाता -----के नाम में तारीख -----को रु. -----के आरंभिक जमा के साथ -----
-----स्कीम के अधीन (स्कीम का नाम) खाता संख्यांक-----तारीख-----द्वारा
खोला गया है।

ग्राहक पहचान संख्यांक-----

नाम निर्देशन संख्यांक -----तारीख-----द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

प्ररूप 2

[पैरा 9 देखिए]

(खाता बंद करने के लिए आवेदन)

डाक घर /बैंक का नाम-----

तारीख.....

खाता संख्यांक.....

1. मैं/हम पासबुक/जमा रसीद प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं और अपने/हमारे तारीख -----को परिपक्व उपरोक्त उल्लिखित खाता को बंद करने के लिए आवेदन करता हूँ/ करते हैं ।

2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में अतिशेष रकम का मेरे बचत बैंक खाता संख्यांक-----स्थित -----
----(खाता कार्यालय का नाम) में प्रत्यय करें ।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले के नाम चैक जारी करें

या

कृपया नकद संदाय करें (लागू, यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से नीचे हो)

*प्रमाणित किया जाता है कि खाते में धृत रकम ----- के प्रयोग के लिए है जो जीवित है और अवयस्क है, अपेक्षित है ।

खाताधारक (को)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप
(लेखा कार्यालय को ज्ञात व्यक्ति द्वारा अंगूठा छाप प्रमाणित की जानी चाहिए)

संदाय आदेश
(केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु)

तारीख-----

संदाय ब्यौरा

मूल रकम रुपए-----

(+) देय ब्याज रुपए-----

(-) अधिक संदत्त ब्याज की वसूली रुपए-----

कटौती, यदि कोई हो, रुपए-----

कुल देय रकम रुपए-----

रुपए ----- (अंको में) ----- (शब्दों में) का संदाय करें ।

तारीख-----

पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर

भुगतान

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाए)

रुपए----- (अंको में) ----- (शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांक -----तारीख-

-----/खाता संख्यांक -----को अंतरण द्वारा, प्राप्त किए ।

स्थान:
तारीख:

खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

G.S.R. 921(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Post Office Savings Account Scheme, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-

- (a) “account” means an account opened under this Scheme;
- (b) “account holder” means an individual in whose name the Account is held;
- (c) “Act” means the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
- (d) “Form” means forms appended to this Scheme;
- (e) “General Rules” means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
- (f) “year” means a period of twelve months commencing on the 1st day of April.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act and in the General Rules.

3. Type of Account.— (1) An account may be opened by making an application in Form-1 by the following:-

- (a) a single adult;
- (b) two adults jointly;
- (c) a guardian on behalf of a minor;
- (d) a guardian on behalf of a person of unsound mind;
- (e) a minor who has attained the age of ten years, in his own name:

Provided that only one account can be opened by an individual as a single account:

Provided further that an account under clause (e) can only be opened if an account under clause (c) does not exist in the name of the minor or *vice versa*.

(2) The share of an individual in the balance in a joint account shall be in equal proportion. On the death of one of the account holder in a joint account, the surviving account holder shall be treated as the sole owner of the account and he may continue the account in accordance with the provisions of this Scheme provided another single account is not held in his name. In case a single account exists in the name of the surviving holder, the account shall have to be closed.

4. Deposits and withdrawals.— (1) The account may be opened with a minimum deposit of five hundred rupees and no subsequent deposit shall be accepted for an amount less than ten rupees.

(2) There shall be no maximum limit of deposit in an account.

(3) Withdrawals from the account for not less than fifty rupees may be made by presenting pass book alongwith Form-2 duly filled in and signed. Withdrawals from the account may also be made subject to the availability of balance above minimum prescribed limit by way of cheque or electronic means.

(4) No withdrawal shall be permitted which has the effect of reducing the balance to less than five hundred rupees.

(5) In case of an account having a balance of less than five hundred rupees immediately before the commencement of this Scheme, the account holder shall deposit the difference amount within a period of one year from the date of commencement of this Scheme, so as to bring the balance in the account to a minimum of five hundred rupees and the accounts office shall be responsible for advising the account holder through appropriate mode to make the required deposits within the specified date.

(6) If the account holder fails to make such deposit within the specified period, an account maintenance fee of one hundred rupees shall be deducted from the account on the last working day of each financial year and after deduction of the account maintenance fee, if the balance in the account becomes nil, the account shall stand automatically closed and the account holder shall be notified accordingly. This provision shall be applicable to all accounts including Silent Account.

(7) All deposits and withdrawals shall be made in whole rupees only.

5. Interest on deposits in an account.- (1) The interest at the rate of four per cent per annum shall be allowed for a calendar month on the lowest balance at the credit of an account between the close of the tenth day and the end of the month, and such interest shall be calculated and credited in the account at the end of each year.

(2) The interest shall be allowed only on sums of whole rupees and shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose any amount of fifty paise or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paise shall be ignored.

(3) No interest shall be allowed on an account for any month in which the balance at credit is below five hundred rupees at any time between the tenth and the last day of the month.

(4) If an account is closed during a year, interest shall be allowed upto the end of the month preceding the month in which the account is closed.

(5) In the event of death of an account holder, the interest in his account shall be paid only in the end of the month preceding the month in which the account is closed.

6. Confirmation of balance.- A pass book or statement of account of the account holder shall be issued by the accounts office. The account holder may confirm balance in his account by presenting his pass book during office hours.

7. Issue of cheque book.- A cheque book containing ten leaves may be issued to the account holder on an application, free of charge in a year. Subsequent issue of cheque book shall be charged at two rupees per cheque.

8. Silent Account.- (1) An account in which a deposit or a withdrawal has not taken place for three complete years, shall be treated as a Silent Account and credit of interest in a Silent Account shall not be treated as a transaction.

(2) Transaction in a Silent Account shall be allowed only after revival of account. The account can be revived through an application by the account holder and after completion of the due process by the accounts office.

9. Final withdrawal on closure.- The account may be closed at any time by the account holder by surrendering the pass book, unused or partially used cheque book, if any, etc. to the accounts office, along with the application in Form-2 for closure of the account.

10. Application of General Rules.- The provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provision has been made in this Scheme.

11. Power to relax.- Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provision of this Scheme causes undue hardship to an account holder, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F.No.2/2/2018 NS (Pt.I)]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM - 1**[See sub-paragraph (1) of paragraph 3]****(Application for opening an account)**

To

The Postmaster/Manager

.....

Paste photograph of applicant/s

Sir,

I/We(account holder(s)/guardian) hereby apply for opening of an account under Post Office Savings Account Scheme in your Post Office/Bank.

I/We tender herewith Rs...../-

(Rs.....) in cash/Cheque/DD.

No..... date..... as initial deposit. My/our particulars are as under:-

1. Name of First Depositor.....

Husband/Father /Mother's name or Guardian appointed by Court

Date of Birth

.....
 (DD / MM / YYYY)

(In words).....

2. Name of Second Depositor

Husband/Father /mother's name

Date of Birth

.....
 (DD / MM / YYYY)

(In words).....

3. Name of Third Depositor

Husband/Father /mother's name

Date of Birth

.....
 (DD / MM / YYYY)

(In words).....

4. Name of minor/person of unsound mind account holder

Father /mother/guardian's name.....

Date of Birth

.....
 (DD / MM / YYYY)

(In words).....

5. Aadhaar Number of account holder(s)
6. Permanent Account Number (PAN) of account holder(s).....
7. Present Address
-
-
-
- Permanent Address
-
8. Contact details
- Telephone Number.....
- Mobile Number.....
- Email ID.....
9. Type of Account Single or Joint or through Guardian for Minor or
person of unsound mind or blind or differently abled
through authorised person.
10. (*) Details of date of birth of minor
- (Applicable in case of minor account)
- a) Certificate No.
- b) Date of Issue
- c) Issuing authority
11. (*) Name of Guardian (Natural/Legal).....
- (In case the account is opened on behalf of a Minor/person of unsound mind)
12. Details of other KYC documents attached 1. Proof of identification
2. Address proof.....
- The following documents are accepted as valid documents for the purpose of identification and address proof: 1. Passport 2. Driving license 3. Voter's ID card 4. Job card issued by NREGA signed by the State Government officer 5. Letter issued by the National Population Register containing details of name and address;
13. The operation of the account will be:-
- (a) By all the holders together or the surviving holder/s.
- (In case of joint account)

(b) By either of the holder/s, or the surviving depositor/s,

14. My/our specimen Signatures

1..... 2..... 3.....
(Name).....

1..... 2..... 3.....
(Name).....

1..... 2..... 3.....
(Name).....

1..... 2..... 3.....
(Name).....

I hereby undertake to abide by the scheme provisions and Government Savings Promotion rules-2018 applicable on the Scheme and amendments issued thereto from time to time.

Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian

Date:.....

Nomination

16. I/we.....hereby nominate the person(s) mentioned below to whom to the exclusion of all other persons in the event of my death the amount standing to my credit in Post Office Savings Account Scheme at the time of my death would be payable.

S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee(optional)	Date of birth of nominee in case of minor	Share of entitlement	Nature of entitlement Trustee or owner
1						
2						
3						
4						

As the nominee(s) at Serial No.(s).....specified above is/are minor(s), I appoint

Shri/Smt/Kumari.....S/o,D/o,W/o.....

.....Address.....

.....to receive the sum due under the said account in the event of my death during the minority of the nominee(s).

1. Signature of witness.....

Name & Address.....

2. Signature of witness.....

Name & Address.....

Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian

Place:

Date:

For use of Post Office/Bank

The account has been opened in the name of.....on.....with
initial deposit of
Rs.....under.....(name of the
scheme) vide Account No._____dated_____.

Customer identification Number.....

Nomination has been registered vide
No.....dated.....

Signature and seal of competent authority.

FORM - 2

[See paragraph 9]

(Application for closure of account)

Name of Post Office/Bank_____

Date_____

Account Number_____

1. I/we hereby submit pass book/deposit receipt and apply for closure of my/our above mentioned account matured on_____.

2. Please Credit the amount of eligible balance in my matured account to my SB Account no._____standing at_____(Name of Account office).

or

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit).

*Certified, that the amount held in the account is required for the use of
.....who is alive and still a minor.

Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian

(Thumb impression should be attested by a person known to Accounts office)

Payment Order

(For office use only)

Date

Payment detail

Principal amount Rs._____

(+) Interest due Rs. _____

(-) Recovery of overpaid interest Rs. _____

Deduction if any Rs _____

Total Amount due Rs _____

Pay Rs. _____ (in figures) _____ (in words)

Date

Signature of Postmaster/Manager

Acquittance

(to be filled by depositor)

Received Rs . _____ (In figures) _____ (in words) By cash/cheque/DD bearing no.....dated...../by transfer to Account No.....

Place:

Date:

Signature/thumb impression of account holder(s)/guardian

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 922(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1.) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम, 2019 है।

(2.) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा: (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;

(ख) "खाता धारक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम खाता धारित हो;

(ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इस स्कीम से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;